न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश पीलीभीत।

Bail Application No. 664 /2026
CNR No.UPPBO1001762-2026
Case Filing No.1662/2026

असगर अली पुत्र श्री पुत्तन खां निवासी ग्राम बरादुनवा थाना अमरिया जिला पीलीभीत।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–572/2023
धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–एंटी पॉवर थ्रेफट, पीलीभीत।

दिनॉक :–06.04.2026

मुकदमा अपराध संख्या–572/2023, अंतर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम थाना एंटी पॉवर थ्रेफट, जिला पीलीभीत के मामले में अभियुक्त असगर अली पुत्र श्री पुत्तन खां निवासी ग्राम बरादुनवा थाना अमरिया जिला पीलीभीत की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार दिनॉक 17.02.2023 को समय 11.40 बजे, स्थान वहद ग्राम बरादुनवा, थाना अमरिया, जिला पीलीभीत में वादी मुकदमा शुभम भारद्वाज अवर अभियन्ता के द्वारा अभियुक्त का संयोजन का चैक किया गया तो अभियुक्त अनाधिकृत रूप से विद्युत की चोरी करता हुआ पाया गया जबकि अभियुक्त का विद्युत संयोजन पूर्व मे बकाया अदा न किए जाने के कारण विच्छेदित किया जा चुका था। उक्त के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर अभियोग दर्ज कराया गया।

अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन मे आधार लिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई बिजली चोरी नहीं की है तथा प्रार्थी वृद्ध व बूढ़ा व्यक्ति है, लगाये गये आरोप झूठे हैं। प्रार्थी के उपर विद्युत का कोई बिल अथवा देनदारी बकाया नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं उक्त आधारो पर जमानत आवेदन स्वीकार कर जमानत पर अवमुक्त किए जाने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत बकाया जमा न करने पर विच्छेदित किया गया। अभियुक्त का संयोजन चैक किया गया तो अभियुक्त अनाधिकृत रूप से विद्युत की चोरी करता हुआ पाया गया।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध अन्य समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया गया।

Digitally signed by Anu Saxena
Date: 2026.04.07 10:35:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त पर वादी मुकदमा द्वारा अपने सहकर्मियो के साथ चैकिंग किए जाने पर विद्युत चोरी किए जाने का आक्षेप है जबकि अभियुक्त का विद्युत संयोजन पूर्व मे बकाया अदा न किए जाने के कारण विच्छेदित किया जा चुका था। अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि उसके द्वारा कोई विद्युत चोरी नही की गयी है । अतः मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–572/2023, अंतर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम थाना एंटी पॉवर थ्रेफट, जिला पीलीभीत के मामले में अभियुक्त असगर अली पुत्र श्री पुत्तन खां निवासी ग्राम बरादुनवा थाना अमरिया जिला पीलीभीत की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु. 25,000/–रू. के दो प्रतिभू एवं समानराशि का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह आदेश की तिथि से 15 दिवस के अन्दर विद्युत विभाग के समस्त बकाये का भुगतान कर रसीद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा। उक्त शर्त का उल्लघंन जमानत आदेश के निरस्तीकरण का आधार होगा।

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पीलीभीत।
06.04.2026